

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पत्र सं०-स्था०/वेतन विपत्र/विधि/2024

दानापुर, दिनांक 02/01/2024

सर्व संबंधित,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर ।

विषय: - मस्टर रोल, यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता, एवं मकान किराया भत्ता इत्यादि वेतन भुगतान से संबंधित कागजात प्रत्येक माह के 08 (आठ) तारिख तक प्रेषित करने के संबंध में ।


संदर्भ: - वरीय मंडल वित्त प्रबंधक/दानापुर का पत्रांक- 46/लेखा/स्था., दिनांक 02.01.2024 (संलग्न)

संदर्भित पत्र के आलोक में यह पुनः अवगत कराई जाती है, कि नियमित वेतन से संबंधित सभी कागजात यथा मस्टर रोल, यात्रा भत्ता, समयोपरि भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ता से संबंधित कागजात प्रत्येक माह के 08 (आठ) तारिख तक वेतन विपत्र अनुभाग (कार्मिक शाखा)/ दानापुर में निश्चित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि संदर्भित पत्र में उल्लेखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जा सके ।


सभी शाखाधिकारी कृपया उक्त के अनुपालन हेतु अपने-अपने इकाई में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का प्रावधान करें, ताकि संदर्भित पत्र में दिये गये समय के अनुसार वेतन विपत्र अनुभाग/दानापुर अपना कार्य सुनिश्चित करते हुए नियमित वेतन को समय पर लेखा विभाग में विधिक्ष एवं भुगतान हेतु प्रेषित कर सकें ।

इसे अति आवश्यक समझें ।

संलग्न:- संदर्भित पत्र ।


कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर ।

प्रतिलिपि:- वरीय मंडल वित्त प्रबंधक/दानापुर:- सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित ।


कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, दानापुर ।

पूर्व मध्य रेल, दानापुर
(लेखा विभाग)

कार्यालय
च.म.वि.प्र
पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पत्र संख्या:-46 / लेखा / रथा.

दिनांक : 02.01.2024

Sr.DPO/DNR, Sr.DEN(Co-Ord)/DNR
Sr.DSTE/DNR, Sr.DFM/DNR
Sr.DSC/RPF/DNR, DSC/RPF/DNR & RGD
APO/RRB/MHX
E.C.Railway

विषय:- Salary passing & Change Card Vetting के संबंध में।

हाल की विभिन्न मंडलों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी वेतन विपत्र बनाने वाले युनिटों को यह निर्देश जारी किया जाए कि वे वेतन विपत्र को प्रत्येक माह के 20 तारीख तक लेखा विभाग को अवश्य प्रेषित कर दे। इससे लेखा विभाग में वेतन विपत्रों की जाँच हेतु पर्याप्त समय मिल सकेगा। जिससे दानापुर मंडल को किसी तरह की अनियमितताओं से बचाया जा सके।

अतः यह आवश्यक है कि वेतन विपत्र को 20 तारीख तक लेखा विभाग को प्रेषित करने से पूर्व Change Card Vetting से संबंधित सभी कार्य को प्रत्येक माह के 18 तारीख तक लेखा विभाग से अवश्य करवा लिया जाए जिससे समय से वेतन विपत्रों को भेजा जा सके। इससे लेखा विभाग को वेतन विपत्रों की जाँच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। 20 तारीख के बाद वेतन विपत्रों को इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

Amzany 02.01.2024

वरीय मंडल वित्त प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल / दानापुर।